

जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

<u> दिनांक 10.05.2021</u>

<u>थाना झिंझाना</u>

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा जिलाबदर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामद ।

आज दिनांक 10.05.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे जिलाबदर/हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा जिलाबदर अभियुक्त उमरदराज उर्फ काला को सत्यापन की कार्यवाही में मुर्गी फार्म जंगल ग्राम बल्लामाजरा से अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. उमरदराज उर्फ काला पुत्र युनुस उर्फ नूसा निवासी ग्राम बल्लामाजरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1. अवैध चाकू।

आपराधिक इतिहास उमरदराज उर्फ काला -

- 1. मु0अ0सं0 720/2010 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2. मु0अ0सं0 720/2010 धारा 414 भादवि0 थाना झिझाना जनपद शामली।
- 3. मु0अ0सं0 56/2013 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 4. मु0अ0सं0 निल /2013 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414 भादवि0 थाना झिझाना जनपद शामली।
- 5. मु0अ0सं0 10/2019 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 6. मु0अ0सं0 88/2020 धारा 3/8 सीएस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 7. मु0अ0सं0 346/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 8. निवारक कार्यवाही 77/2020 धारा 03 यूपी गुण्डा अधि0 थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 9.निवारक कार्यवाही 52/2021 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना झिझाना जनपद शामली ।
- 10. मु0अ0स0 217/2021 धारा 10 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना झिझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1. उ0नि0 श्री समयपाल सिंह अत्री थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 3. हे0का0 रामअवतार सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 4. का0 सन्दीप कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना गढ़ीपुख्ता

<u>थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा ग्राम हरिपुर में हुई दिव्यांग की हत्या का किया सफल अनावरण, 02 हत्याभियुक्त</u> गिरफ्तार।

दिनांक 01.05.2021 को थाना गढीपुख्ता पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम हिरपुर में बिटौडों के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी थानाभवन व प्रभारी निरीक्षक गढीपुख्ता मय हमराह फोर्स के घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान मौजूद थे। मृतक की पहचान बिजेन्द्र पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम हिरपुर थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के रूप में हुई। घटनास्थल पर तत्काल फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया तथा थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस को घटना के शीघ्र अनावरण हेतु आदेश दिये गये। इस कार्य हेतु सर्विलांस व एसओजी टीम को लगाया गया। घटना के सम्बन्ध में मृतक के भाई रविन्द्र द्वारा थाने पर दाखिल की गई तहरीर के आधार पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। क्षेत्राधिकारी थानाभवन के नेतृत्व में थाना गढीपुख्ता पुलिस, एसओजी व सर्विलांस की टीम द्वारा घटना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की गई।

एकत्रित जानकारों के क्रम आज दिनांक 10.05.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के पर्यवेक्षण में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा 02 हत्याभियुक्त अंकित व रामवीर को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के संबंध में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का कारण- गिरफ्तार अभियुक्तों से की गई पूछताछ में जानकारी हुई है कि घटना से करीब 01 सप्ताह पूर्व उनकी मृतक बिजेन्द्र से अभद्र भाषा को लेकर कहासुनी हुई थी। जिस पर दिनांक 30.04.2021 को मृतक बिजेन्द्र के ट्यूबेल चलाने को चाबी लेने जाने की जानकारी होने पर रात को उसकी गांव के निकट बिटौडों पर गमले से सर पर वार कर गले में शर्ट का फंदा डालकर हत्या कर दी गई थी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1- अंकित पुत्र रामपाल निवासी ग्राम हरिपुर थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 2- रामवीर पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम हरिपुर थाना गढीपुरख्ता जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1. प्रभारी निरीक्षक श्री महावीर सिंह थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 2. उ०नि० श्री प्रमोद कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 3. उ०नि० श्री अशोक कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 4. हे0का0 नरेश कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 5. का० आशीष कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

